भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली–110012

सं. : 9(3)/2016–हिन्दी **दिनांक : 25 मार्च, 2017**

परिपत्र

विषय : सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेख मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में हिन्दी एकक के 30 मई, 2016 के समसंख्यक परिपत्र के क्रम में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) से "सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए में प्रोत्साहन राशि में वृद्धि" के सम्बन्ध में प्राप्त 21 नवम्बर, 2016 के पत्र सं. 19/1–58/2011–उ.क्षे.का.का–1(दि)/3344–3402 की प्रति तथा पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक (नीति) के 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन 12013/01/2011–रा.भा.(नीति) की प्रति निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त समस्त सम्बन्धितों के बीच परिचालित की जा रही है ।

उषा जैन

(ऊषा जैन)
प्रभारी, हिन्दी एकक एवं
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी

वितरण :

1. समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त प्रोत्साहन योजना अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच परिचालित करने की कृपा करें ।
2. निदेशक महोदय के निजी सहायक ।
3. कार्यालय प्रधान/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के निजी सहायक ।
4. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें ।
5. प्रभारी, संग्रहालय ।
6. गार्ड फाइल ।

श्री आर2भी

ई मेल

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (DEPTT. OF O.L.)

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1(दिल्ली)

NORTHERN REGIONAL IMPLEMENTATION OFFICE-1 (DELHI)

ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023, टैलीफैक्स : 011-24674674

A-149, SAROJINI NAGAR, NEW DELHI-110023, TELEFAX-011-24674674

ई-मेल/E-mail:-ddriodel-dol@nic.in

19/1-58/2011 उ.क्षे.का.का.-1(दि.)/3344-3402 21/11/2016

सेवा में

सभी नराकास अध्यक्ष

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन सं.12013/01/2011-रा.भा.(नीति)/ दिनांक 14 सितंबर, 2016 (प्रति संलग्न है) इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है, जोकि सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में है। यह पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसे सदस्य कार्यालयों मे परिचालित कराने की कृपा करें, ताकि वे अपने से संबंधित कार्रवाई तदनुसार कर सकें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

मो0.7838758761

संलग्नक : यथोपरि।

(3)

17.9.2016
प्रकुशर्मा
कृपया हिन्दी नरोत्तम् में पालन लिखा करें।
श्री राजीव कुमार, आशुलिपिक
2781

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।